फैक्स / स्पीड पोस्ट / महत्वपूर्ण

सं0: 365 / 38 / ई0–1 / डी०पी०सी० / 2016–17

प्रेषक,

सचिव,
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
हरिद्वार।

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,
सिंचाई विभाग (अनुभाग–1),
देहरादून।

हरिद्वार : दिनांक 03 जनवरी, 2017

विषयः–सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत चयन वर्ष 2016–17 में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति द्वारा चयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0 53 / II–2016–01(29)(18)–2011 / 2013, दिनांक 09 जनवरी, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत डिप्लोमाधारी कनिष्ठ अभियन्ता / अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल) के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु अधियाचन प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया हैं। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में **चयन समिति की बैठक दिनॉक 20.02.2017 को पूर्वाह्न 11.00 बजे, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में निर्धारित की गयी है।**

2. प्रश्नगत पदोन्नति के प्रस्ताव पर विचार करने हेतु चयन समिति की बैठक से पूर्व निम्न सूचनाऐं अपेक्षित हैं:–

(1) शासन से प्राप्त पात्रता सूची में वरिष्ठता क्रमांक– 116ए, 306ए व वरिष्ठता क्रमांक 321 से 335 तक के कार्मिकों के नाम सम्मिलित किये गये हैं। उक्त के सम्बन्ध में इस आशय का प्रमाण पत्र वांछित है कि वरिष्ठता क्रमांक के अनुसार जिन कार्मिकों को पात्रता में सम्मिलित नहीं किया गया है, उनकी पदोन्नति पूर्व के चयन वर्षों में की जा चुकी है।

(2) यह अवगत कराना है कि विभाग में कुल सृजित पदों की संख्या 356 है, जिसमें 50 प्रतिशत डिप्लोमा कोटे से, 2.67 प्रतिशत संगणक कोटे से एवं 7.33 प्रतिशत पद डिग्रीधारी कोटे से नियमावली के अनुसार पदोन्नति करने का प्राविधान है। उक्त के अन्तर्गत डिग्री कोटे के 26 पद बनते हैं, जिसमें शासन के पत्र के अनुसार 14 पदों पर कार्मिक कार्यरत है तथा 12 पद रिक्त हैं। प्रश्नगत अधियाचन की 09 रिक्तियॉ उक्त डिग्री कोटे से सम्बन्धित है, जिन पर डिप्लोमाधारी से पदोन्नति का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। नियमावली में यह प्राविधान है कि यदि डिग्री कोटे के सापेक्ष पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो उक्त रिक्तियों के सापेक्ष पदोन्नति डिप्लोमा कोटे से की जा सकती है। उक्त के अन्तर्गत शासन से यह प्रमाण पत्र अपेक्षित है कि डिग्री कोटे के अन्तर्गत कोई पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण इस कोटे की रिक्तियों के सापेक्ष डिप्लोमा कोटे से पदोन्नति की जानी है।

3. यह अवगत कराना है कि चयन समिति के लिए उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली–2003 के नियम–11 के अनुसार शासन प्रतिनिधि, जो कि अपर सचिव पद से कम स्तर के न हों तथा विभाग के प्रतिनिधि के रूप में विभागाध्यक्ष को नामित किया जाना आवश्यक है।

क्रमशः......2

4. यह उल्लेख करना है कि पात्र कार्मिको के सेवा अभिलेख, यथा वार्षिक चरित्र प्रविष्टियां इत्यादि मूलरूप में अभिलेखों से मिलान करने के लिए विभाग के विज्ञ अधिकारी के साथ दिनॉक 17.02.2017 को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। अभिलेखों के परीक्षण करने के पश्चात मूल अभिलेख चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

अतः अनुरोध है कि कृपया नामित अधिकारीगण को चयन समिति की बैठक **दिनॉक 20 फरवरी, 2017 के पूर्वाह्न 11.00 बजे** में प्रतिभाग करने की सूचना प्रदान करते हुए, नामित सदस्यों के नाम, पदनाम व दूरभाष की सूचना अधोहस्ताक्षरी को ***फैक्स संख्या (01334–244282)*** **एवं ई मेल– examoneukpsc@gmail.com** पर प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 रामबिलास यादव),
सचिव।

संख्याः 365 **/ 38 / ई0–1 / डी०पी०सी० / 2016–17 तद्‌दिनॉक।**
प्रतिलिपिः– मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 रामबिलास यादव),
सचिव।